भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1943

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

फास्टैग लेनदेन

†1943. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार कितने फास्टैग लेनदेन हुए;

(ख) क्या 'अबद्ध फास्टैग' या 'हाथ में टैग' इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यों की दक्षता के लिए एक चुनौती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सुचारू टोल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अबद्ध फास्टैग की सूचना देने और ऐसे उपयोगकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनएचएआई ने इस संबंध में टोल संग्रह अभिकरणों और रियायतदाताओं को कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार फास्टैग लेनदेन का विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार, "फास्टैग" का तातपर्य वाहन के सामने वाले विंडस्क्रीन पर लगाई गई ऑनबोर्ड इकाई या ऐसे किसी उपकरण से है।

'अबद्ध फास्टैग' या 'हाथ में टैग' का उपयोग करने की आदत, जहां फास्टैग को वाहन के सामने वाले विंडशील्ड पर ठीक से नहीं लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली की दक्षता और संपूर्णता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। इस तरह की आदतों के कारण मैनुअल लेन संचालन, शुल्क प्लाजा पर भीड़भाड़, बंद-लूप टोल प्रणाली में दुरुपयोग, गलत चार्जबैक का निर्माण और स्वचालित टोल प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है।

(ग) से (घ) जी, हां। सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के माध्यम से 'अबद्ध फास्टैग' या 'हाथ में टैग' का पता लगाने और उन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सुदृढ़ किया है। आईएचएमसीएल के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के नीति परिपत्र के अनुसार, शुल्क प्लाज़ा संचालकों को ऐसे उल्लंघनों की सूचना संबंधित अधिग्रहणकर्ता बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान

निगम (एनपीसीआई) को देनी होगी। जारीकर्ता बैंक को मामले की पुष्टि करके और अनुपालन न करने वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करेगा, जबकि आईएचएमसीएल अनुपालन की निगरानी करेगा।

इसके बाद, दिनांक 16 जुलाई, 2024 के परिपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों को दोहराया गया, जिसमें यह अधिदेश है कि जिन वाहनों में वैध और कार्यात्मक फास्टैग नहीं लगा है, उनसे लागू शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा। परिपत्र में इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है, वे भी इस श्रेणी में आएंगे और उन्हें लागू दर से दोगुनी राशि नकद में देनी होगी, जिससे रोकथाम लागू होगी।

प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करने के लिए दिनांक 26 जून, 2025 के परिपत्र में एक संरचित रिपोर्टिंग प्रारूप शुरू किया गया, जिसके तहत शुल्क संग्रहण एजेंसियों को etc.operations@ihmcl.com पर साप्ताहिक डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन रिपोर्टों के आधार पर, आईएचएमसीएल ने एनपीसीआई को ब्लैकलिस्टिंग शुरू करने का निर्देश देता है।

सभी शुल्क संग्रहण एजेंसियों और रियायतग्राहियों को समय-समय पर 'अबद्ध फास्टैग' या 'हाथ में टैग' के संबंध में विनिर्देश जारी किए गए हैं।

(ङ) टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पंजीकरण (एएनपीआर) आधारित निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जहां वाहन प्रयोक्ताओं से बिना रुके, गति धीमी किए या दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में रुके बिना प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सड़क प्रयोक्ताओं को वहनीयता प्रदान करने के लिए गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए वार्षिक पास योजना प्रारंभ की गई है।

अनुबंध

फास्टैग लेनदेन के संबंध में श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1943 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार फास्टैग लेनदेन का विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**कुल फास्टैग लेनदेन**			
	2022	**2023**	**2024**	**2025 (जून तक)**
आंध्र प्रदेश	19,21,31,757	20,04,65,753	21,16,79,360	11,29,46,170
असम	1,87,23,623	1,95,85,091	2,12,22,039	1,26,94,926
बिहार	6,03,50,085	7,02,17,036	7,76,04,068	5,01,95,782
छत्तीसगढ़	3,88,37,654	4,80,03,780	5,43,88,371	3,05,74,657
दिल्ली	18,16,570	31,24,194	37,17,145	19,03,088
गुजरात	21,97,18,137	24,03,64,837	24,85,92,949	13,59,79,345
हरियाणा	20,64,58,046	24,23,28,717	23,75,28,453	12,76,70,909
हिमाचल प्रदेश	75,83,044	71,49,493	78,83,008	60,63,011
जम्मू और कश्मीर	2,08,57,670	2,16,02,139	1,98,53,127	1,00,98,680
झारखंड	3,16,32,687	3,75,52,179	4,18,94,268	2,62,26,853
कर्नाटक	27,18,19,576	31,66,45,234	34,97,53,465	18,92,94,575
केरल	4,14,75,799	4,67,39,799	4,72,40,325	2,41,31,801
मध्य प्रदेश	13,84,83,770	15,12,81,076	16,68,03,514	9,90,50,542
महाराष्ट्र	22,14,55,356	25,11,35,711	27,68,04,418	16,03,84,290
मेघालय	78,69,470	83,96,227	78,48,892	39,46,898
ओडिशा	4,60,46,513	6,15,59,801	6,61,07,158	3,64,45,781
पंजाब	12,67,81,806	14,45,45,455	14,76,66,622	7,95,65,813
राजस्थान	26,07,42,419	28,43,50,099	30,31,90,205	16,70,66,184
तमिलनाडु	32,24,13,100	35,80,79,672	37,65,49,913	20,64,63,426
तेलंगाना	10,05,51,620	11,15,65,059	12,05,02,516	6,69,87,786
उत्तर प्रदेश	28,31,02,705	33,06,78,419	37,05,07,816	21,60,14,417
उत्तराखंड	3,18,38,135	3,54,72,086	3,76,54,287	2,15,44,224
पश्चिम बंगाल	10,91,81,023	11,26,77,349	11,66,90,548	6,54,04,288

*****